नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **धनपत राय बनाम राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम** **207/17**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.18	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित, उनकी बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया है कि मिन याचिकाकार को जो पट्टा दिया गया है उस कृषि भूमि को राज्य सरकार ने धारा 90 बी भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 17.05.2001 को नगर पालिका के नाम दर्ज की है तथा धारा 80(2) नगर पालिका अधिनियम के अर्न्तगत जिला कलक्टर दौसा को पट्टा पत्रावली के लम्बित रहने के दौरान की जांच के अधिकार है व कोई पट्टा पत्रावली लम्बित हो उस समय ही जिला कलक्टर पट्टा दिये जाने व न दिये जाने के सम्बन्ध में जांच कर सकते है जबकि हस्तगत प्रकरण में पट्टा कार्यवाही सम्पूर्ण हो चुकी है व पट्टे को पंजीकृत भी करवाया जा चुका है इसिलये यह पंजीकृत दस्तावेजात के वैधता या अवैधता के सम्बन्ध मे मात्र सिविल कोर्ट की अपना निर्णय दे सकती है इसलिये जिला कलक्टर दौसा का आदेश दिनांक 28.02.13 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 28.02.2013 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 13/13 बउनवानी भण्डार व्यवस्था निगम बनाम धनपतराय मे पारित स्टे आदेश दिनांक 28.02.13 निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने निगरानी के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम की है जिस पर निगरानीकर्ता का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है इसके बावजूद भी निगरानीकर्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि पर निमार्ण कार्य करने पर आमदा होने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 28.02.2013 जारी किया गया है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में केवल अन्तरिम आदेश ही जारी किया गया है तथा अंतरिम आदेश विरूद्ध हस्तगत निगरानी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2013 से प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया गया है जो कि एक अन्तरिम आदेश है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **धनपत राय बनाम राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम** **207/17**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिससे किसी भी पक्षकारान के हक, हकूक, अधिकार तय नही होते है तथा उक्त अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही होने के कारण खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया। (टी0रविकान्त) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	